R-3868-II/14

B.O.R.

15 OCT 2014

श्री ... अभिभाषक ... प्रस्तुत
कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म.प्र.)

147
20-10-14

श्री जीवनलाल फौत (वारिसान)

1. वेवा श्रीमति गंगोत्री सोनी
2. शैलेष सोनी तनय स्व श्री जीवनलाल
3. अमित सोनी तनय स्व श्री जीवनलाल
4. सुशील कुमार सोनी तनय स्व श्री जीवनलाल
5. रीतेश सोनी तनय स्व श्री जीवनलाल
6. श्रवण कुमार सोनी तनय स्व श्री जीवनलाल
7. सुनील कुमार सोनी तनय स्व श्री जीवनलाल

सभी निवासी - सिविल वार्ड नं. 4
जिला दमोह (म.प्र.)

..........आवेदकगण

//विरूद्ध//

कन्हैयालाल फौत (वारिसान)

1. हरिशचन्द्र तनय स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी
2. गोविन्द सोनी तनय स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी
3. सरोज बाई पुत्री तनय स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी
4. सरिता बाई सोनी पुत्री स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी
5. बवली बाई पुत्री स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी
6. गुन्जी बाई पुत्री स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी

सभी निवासी नया बाजार नं. 1
जिला दमोह (म.प्र.)

..........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अुनसार

18-11-14

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर, सभांग सागर के प्रकरण क्रमाँक 216/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 17-04-2012 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:-

1. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगणों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दमोह के पारित आदेश दिनांक 28.01.03 के विरूद्ध अपील श्रीमान अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की थी जो समयावधि पर ही निरस्त किये जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

(3)

जीवनलाल फोत बेवा श्रीमती गंगोत्री सोनी आदि विरूद्ध
कन्हैयालाल फोत हरिशचन्द्र आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 5868 –एक/14 जिला – दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–11–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा समयावधि के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके समक्ष आवेदकों की ओर से निगरानी 3191 दिवस के विलंब से पेश की गई थी जिसे उन्होंने आवेदकों द्वारा दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्टीकरण न दिए जाने और समाधानकारक कारण न दिए जाने के कारण अवधि बाह्य पाए जाने से निरस्त किया गया है । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदकों द्वारा दिनांक 17–4–12 के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध निगरानी 15.10.14 को अर्थात 2.5 वर्ष बाद पेश की गई है । विलंब के संबंध में जो कारण दिया गया है वह समाधानकारक नहीं है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आवेदकों का आचरण यह दर्शाता है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	